न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019-00183RAAJu2019-081RTA225 Laxmikanwar Vs Kishankanwar

1. श्रीमती लक्ष्मीकंवर पत्नी श्री नैनसिंह उर्फ नन्दसिंह राजपूत
2. जयसिंह पुत्र श्री नैनसिंह उर्फ नन्दसिंह राजपूत
   निवासीगण 102 हनुमान मन्दिर के पास,
   भगत की कोठी, पाली रोड, जोधपुर

----- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. श्रीमती किशनकंवर पत्नी श्री रतनसिंह राजपूत
2. देवीसिंह पुत्र श्री रतनसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम बनाड, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार
   तहसील व जिला जोधपुर
4. उप-पंजीयक (द्वितीय)
   तहसील व जिला जोधपुर

-----**रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 09 मई 2019 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर प्रकरण संख्या ए/91/2017 श्रीमती किशनकंवर बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रामकरण खोजा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री मूलसिंह गहलोत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री बाबूलाल गोरा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन व चार

नि र्ण य

दिनांक : 25 फर., 2020

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या ए/91/2017 श्रीमती किशनकंवर बनाम श्रीमती लक्ष्मीकंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 मई 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 जुलाई 2019 को पेश की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी-रेस्पो. श्रीमती किशनकंवर ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक राजस्व वाद पेश किया और उसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम बनाड तहसील जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 344 रकबा 100 बीघा 12 बिस्वा वक्त जागीर एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रार्थीगण एवं उनके पूर्व-पुरूष स्व. रतनसिंह के कब्जे-काश्त में चली आ रही है और इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 व 15 के अनुसार प्रार्थीगण एवं उनके पूर्व-पुरूष स्वतः ही वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हो गये और उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा स्व. रतनसिंह के नाम वादग्रस्त आराजी का पट्टा जारी किया गया, वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार देय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीगोडी समय-समय पर प्रार्थीगण व उनके पूर्व-पुरुष द्वारा अदा की जाती रही है, संवत 2008 से 2011 की खसरा गिरदावरी में स्व. रतनसिंह पुत्र सांवतसिंह काश्तकार दर्ज है। किन्तु बाद में अप्रार्थीगण संख्या एक व दो ने षडयन्त्र रचकर विधिविरुद्ध तरीके से फर्जी व बनावटी ढंग से रतनसिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर अपंजीबद्ध इकरारनामा का दस्तावेज तैयार कर वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में रतनसिंह के स्थान पर जीवनसिंह पुत्र चौथसिंह के नाम दर्ज करवा ली, जबकि उक्त जीवनसिंह पुत्र चौथसिंह नागौर जिले के निवासी थे। नाम-परिवर्तन के नीचे किसी राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार 100/- रु. या उससे अधिक राशि की सम्पत्ति हस्तान्तरण संबंधित दस्तावेज पंजीबद्ध होना अनिवार्य है, जबकि इस मामले में कथित बेचान 100/-रु. का बताया गया, फिर भी जीवनसिंह के बाद उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में किशोरसिंह व नन्दसिंह के नाम दर्ज की गयी, फिर उनका देहान्त होने के बाद अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के नाम दर्ज हुई जबकि मौके पर इनमें से किसी का भी कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रार्थनापत्र के अंत में मूल दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08 नवम्बर 2012 को उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये किन्तु लम्बे समय तक अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने पर रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन भेजे गये, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी और दिनांक 09 मई 2019 को जरिये अपीलाधीन आदेश उक्त प्रार्थनापत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार कर लिया गया जिसके खिलाफ अप्रार्थीगण द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट-अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस नहीं भेजे गये। दिनांक 23 जनवरी 2013 से 10 मार्च 2017 तक की आदेशिकाओं पर पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरिती के हस्ताक्षर ही नहीं है। 24 अप्रेल 2017 को प्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित रहे, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया। आदेशिका दिनांक 18 मई 2017 में स्पष्ट अंकित है कि नोटिस तलबी में 27 नवम्बर 2012 से लम्बित है। अतः रजिस्टर्ड ए.डी. से नोटिस भेजे जावे। आदेशिका दिनांक 14 सितम्बर 2017 में वर्णित है कि रजिस्टर्ड ए.डी. के आदेश के बावजूद पालना नहीं की गयी। 26 अक्तूबर 2017 की आदेशिका में पुनः अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल वाद में रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भेज कर रसीदे पेश की है, मिसल इंतजार में रखी जावे। 11 अक्तूबर 2018 को पुनः नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। 08 जनवरी 2019 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। 29 जनवरी 2019 की आदेशिका में स्पष्ट अंकित किया गया है कि वकील प्रार्थी द्वारा गत आदेश की पालना करें। 03 मई 2019 की आदेशिका में वर्णित किया गया कि रजिस्टर्ड एडी नोटिस 17 अक्तूबर 2017 को भेजे जा चुके है, अप्रार्थीगण द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया गया। प्रार्थीगण की ओर से इकतरफा कार्यवाही की मांग किये जाने पर इकतरफा कार्यवाही की गयी और प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स पर नोटिस की बिना कोई समुचित तामील हुए और सुनवाई का अवसर दिये इकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स की तलबी हेतु भरसक प्रयास किये गये और उसके बाद ही अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गयी है जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। अधिवक्ता-रेस्पो. का तर्क है कि खसरा गिरदावरी संवत 2008, 2009 व 2010 में रतनसिंह का नाम लिखा हुआ है। संवत 2013 में उक्त रतनसिंह का नाम हटा कर जीवनसिंह लिखा हुआ है। संवत 2008-2009 तक लगान-मांग रतनसिंह के नाम कायम होता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में 2008 से भंवरसिंह बनाम लक्ष्मी दावा संख्या 491/2017 भी विचाराधीन है। दोनों दावों को समेकित कर रेस्पो. को पक्षकार कायम करने हेतु प्रार्थनपत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, जिसकी नकल प्रतिपक्ष को भी दी अदालत हाजा के समक्ष इस प्रकरण में प्रपत्र तीन के संलग्न पेश है। दिनांक 13 अगस्त 2018 को सभी दावे कंसोलिडेट कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायसंगत है। विवाद नहीं बढे, इसलिए यह आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने भंवरसिंह बनाम लक्ष्मी में प्रस्तुत जबाबदावा की नकल पेश की, जिसमें भंवरसिंह के पक्ष में 28 बीघा भूमि के संबंध में स्थगन बाबत कोई आपत्ति जाहिर नहीं की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गयी है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट्स मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी बाबत पक्षकारान के स्वत्वों एवं अधिकारों का विनिश्चयन मूल वाद में होना है, वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित अपील स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट्स की तलबी हेतु अधीनस्थ न्यायालय से सम्मनों की विधिवत एवं समुचित तामील अपीलाण्ट्स पर होने बाबत तामीलसुदा सम्मन की प्रति या रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये सम्मन की ए.डी. या इसी प्रकार का अन्य कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। न्यायालय द्वारा जब-जब सम्मन या तलबी पत्र जारी किये जाते है तो उनके डिस्पेच नम्बर व दिनांक का अंकन संबंधित आदेशिका के दांयी ओर हाशिए पर अंकित कर दिया जाता है, मगर आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इसका भी अभाव पाया गया हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट-अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस नहीं भेजे गये। दिनांक 23 जनवरी 2013 से 10 मार्च 2017 तक की आदेशिकाओं पर पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरिती के हस्ताक्षर ही नहीं है। 24 अप्रेल 2017 को

प्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित रहे, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया। आदेशिका दिनांक 18 मई 2017 में स्पष्ट अंकित है कि नोटिस तलबी में 27 नवम्बर 2012 से लम्बित है। अतः रजिस्टर्ड ए.डी. से नोटिस भेजे जावे। आदेशिका दिनांक 14 सितम्बर 2017 में वर्णित है कि रजिस्टर्ड ए.डी. के आदेश के बावजूद पालना नहीं की गयी। 26 अक्तूबर 2017 की आदेशिका में पुनः अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल वाद में रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भेज कर रसीदे पेश की है, मिसल इंतजार में रखी जावे। 11 अक्तूबर 2018 को पुनः नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। 08 जनवरी 2019 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। 29 जनवरी 2019 की आदेशिका में स्पष्ट अंकित किया गया है कि वकील प्रार्थी द्वारा गत आदेश की पालना करें। इससे साफ जाहिर है कि 29 जनवरी 2019 तक अधीनस्थ न्यायालय की राय में अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण के खिलाफ सम्मन की समुचित तामील नहीं हो पायी और उनके खिलाफ सम्मन जारी किया जाने की आवश्यकता थी। मगर यकायक 03 मई 2019 की आदेशिका में वर्णित किया गया कि "रजिस्टर्ड एडी नोटिस 17 अक्तूबर 2017 को भेजे जा चुके है, अप्रार्थीगण द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया गया।" जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय की उक्त आदेशिका तथ्यों पर आधारित होना नहीं कहा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले में विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं बाबत भी कोई विवेचन नहीं किया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश एक स्पीकिंग ज्युडिशियल ऑर्डर की श्रेणी में रखा जाने योग्य आदेश नहीं कहा जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जो फोटोग्राफ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से पेश किये गये है, उनके अवलोकन से निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त फोटोग्राफ किस खसरा नम्बर की भूमि से संबंधित है। अतः इन फोटोग्राफ के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यही स्थिति इस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत विभिन्न केश-मीमों के संबंध में प्रकट होती है। जो शपथपत्र नारायणराम पुत्र लादूराम, भेराराम पुत्र डूँगरराम,मानसिंह पुत्र छोटूसिंह, गुमानराम व बुधाराम पिसरान गिरधारीराम, खेमाराम पुत्र कनाराम, तथा कालूराम पुत्र बस्तीराम के पेश किये गये है, उन सभी के आधार पर अपील स्तर पर साक्ष्य सृजित किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, उपर्युक्त विवेचन से साफ जाहिर है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट पर सम्मनों की समुचित तामील नहीं हुई, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में हुई कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश की समुचित समय में जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर तदनुसार अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार रतनसिंह द्वारा जरिये एक रजिस्टर्ड विकय विलेख यह भूमि दिनांक 11 मार्च 1955 को जीवनसिंह के पक्ष में विकय किया गया है जिसके फलस्वरूप केतागण के नाम खातेदारी का अंकन हुआ। तत्पश्चात यह भूमि विरासत में उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

औरा इस पर उनका लम्बी अवधि तक कब्जा काश्त रहा है। इस दृष्टि से मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में है। लिहाजा उनके पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया जाना लाजमी है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 मई 2019 समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज किया जाता है और अपील अपीलाण्ट्स तदनुसार स्वीकार की जाकर रेस्पो. को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 344 रकबा 100 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा बनाड पर अपीलाण्ट्स के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग-उपभोग में रेस्पो. किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न किसी अन्य के माध्यम से करावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर